परियेाजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा से जमरेड़ी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण।

उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश संख्या 149/।।।(2)/16–59 (प्रा0आ0)/2015 दि0 13–01–2016 के द्वारा 5.000 कि.मी. लम्बाई हेतु प्रथम चरण में रू0 14.00 लाख की स्वीकृत प्राप्त है, शासनादेश प्रस्ताव में संलग्न है।

इस क्षेत्र में अभी तक कोई भी मोटर मार्ग नहीं है। इस मार्ग के बनने से इस क्षेत्र की जनता/ग्रामवासियों का सीधा सम्पर्क तहसील मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय से हो जायेगा।

अतः इस मार्ग में पड़ने वाले वनभूमि प्रस्ताव 2.450 हे0 + मलुवे हेतु 0.300 हे0 कुल 2.750 हे0 का स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है। वनभूमि की स्वीकृति उपरान्त इस मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा, ताकि क्षेत्रीय जनता को यातायात की सुविधा प्रदान की जा सके।

ह0/–

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
लोहाघाट

(प्रयोगिता राजौरी)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
लोहाघाट (चम्पावत)

(6)

संख्या– 149 /III(2)/16–59(प्रा0)/2015

(157)

CAO II/ ...

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 13 जनवरी, 2016

विषय:– वित्तीय वर्ष 2015–16 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 05 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 05 कार्यो के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 16.00 किमी0 + 02 सेतु तथा लागत ₹ 63.37 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 63.37 लाख (₹ त्रिसठ लाख सैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में संलग्नक के कॉलम सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 05 कार्यो हेतु ₹ 0.50 लाख (₹ पचास हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सडक/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

संख्या- 60 /24 सी0 दिनांक- 19/01/2016
प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, लोहाघाट को सूचनार्थ एवं ... निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभि का होगा।

(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2016 तक सुनिश्चित किया जायेग यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संग मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो मे से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, त ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 943(A)/XXVII/(2)/2015 दि0:–12 जनवरी, 2016 को प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:– यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या:– (1)/ II(2)/16–59(प्रा0आ0)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ए0एस0पांगती)
उप सचिव

शासनादेश संख्या:- 149 /II(2)/16-59(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 13 जनवरी, 2016 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	कुल स्वीकृत लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र-लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा से जमरेड़ी व क्रान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	14.00	0.10
2	जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र-लोहाघाट के अन्तर्गत तल्लीछन्दा पसेडी से अनुसूचित जाति बस्ती बेट्टा होते हुए घाट तक मोटर मार्ग एवं सेतु का नव निर्माण कार्य।	5.00 + 40 mtr.	22.20	0.10
3	जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र-लोहाघाट के अन्तर्गत पिथौरागढ़ रोड़ से तल्ली बन्तोली गांव तक सड़क कटान का कार्य।	3.00	11.64	0.10
4	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड-भिलंगना में मथकुड़ी-पंगरियाणा मोटर मार्ग के अवशेष भाग का नव निर्माण।	3.00	10.89	0.10
5	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम पंवाणी के सुपिन नदी पर 60 मी. विस्तार के झूला पुल का निर्माण कार्य।	60 mtr	4.64	0.10
	योग:-	16.00 + 02 Brg	63.37	0.50

(कुल ₹ पचास हजार मात्र)

(ए0एस0पांगती)
उप सचिव

P. copy AM,
AE